संचिका सं0—07/MCH-35-41/2023 — 131(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक—20 / 03 / 2026

विषयः— दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा में 2100 शैय्या के नये अस्पताल, नये महाविद्यालय भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति के आधार पर कुल 2546.41 करोड़ रुपये मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन निगम द्वारा तैयार 1700 शैय्या के नये अस्पताल एवं अन्य परिसर के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर रू0 17,68,47,30,000/—(रूपये सत्रह अरब अडसठ करोड़ सैतालिस लाख तीस हजार) मात्र के योजना अन्तर्गत रू० 71,00,00,000/— (रूपये इकहत्तर करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के आम जनों को गुणवत्तायुक्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना के रूप में राज्य सरकार द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा को 2500 शैय्या (पूर्व स्वीकृत एवं निर्माणाधीन 400 शैय्या के सर्जिकल ब्लॉक सहित) के नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें से पूर्व से 400 बेड के सर्जिकल ब्लॉक का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। अतएव शेष 2100 शैय्या के निर्माण इसी योजनांतर्गत किये जाने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक—2041 दिनांक—13.06.2023 से प्राप्त इस योजना का प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव रु० 2546.41 करोड़ मात्र का उपलब्ध कराया गया, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं०—100(7), दिनांक—16.06.2023 द्वारा दी गयी।

2— प्रबंध निदेशक, BMSICL के पत्रांक—12486, दिनांक—20.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक—14.11.2024 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निगम एवं विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी, जिसमें समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वर्त्तमान में 400 शैय्या के सर्जिकल ब्लॉक के अतिरिक्त दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा के परिसर में 210 शैय्या के Super Speciality Hospital एवं 375 शैय्या के Pre-Fab के निर्माण के उपरांत पूर्व से स्वीकृत 2100 शैय्या के नये अस्पताल भवन के स्थान पर आवश्यकता आधारित नये संशोधित 1700 बेड के अनुरूप अन्य आवश्यकताओं का आकलन कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/ तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तैयार करने का निदेश निगम को दिया गया।

तदालोक में निगम द्वारा आवश्यकता आधारित 1700 बेड के नये भवन हेतु राशि रू0 17,68,47,30,000/—(रूपये सत्रह अरब अडसठ करोड़ सैतालिस लाख तीस हजार) मात्र का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तैयार कर निविदा निष्पादित की गयी।

3— मंत्रिपरिष्द के उक्त स्वीकृत योजना के अधीन दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा में 2100 शैय्या के नये अस्पताल, नये महाविद्यालय भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति के आधार पर कुल 2546.41 करोड़ रुपये मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन निगम द्वारा तैयार 1700 शैय्या के नये अस्पताल एवं अन्य परिसर के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर रू0 17,68,47,30,000/—(रूपये सत्रह अरब अडसठ करोड़ सैतालिस लाख तीस हजार) मात्र के योजना अन्तर्गत रू० 71,00,00,000/— (रूपये इकहत्तर करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4— विदित हो कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा के विस्तारीकरण एवं पुनर्विकास योजना का कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2014—15 में ही राज्यादेश सं०—942(1), दिनांक—22.09.2014 द्वारा प्रदान की गयी थी, जिसमें फेज—01 के तहत् सर्जिकल ब्लॉक का निर्माण कुल पुनरीक्षित प्राक्कलित योजनागत राशि रू0 227.54 करोड़ से किया गया । भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए हस्तान्तरित भी की जा चुकी है । इसी योजना के अधीन कुल स्वीकृत राशि से रू0 20.00 करोड़ अतिरिक्त राशि की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0—347(7), दिनांक—06.10.2025 के द्वारा निगम (BMSIC) को कार्यहित में आवंटित की गयी, जिसका व्यय नये विभागीय राज्यादेश सं०—100(7), दिनांक—16. 06.2023 द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत निष्पादित निविदा में व्यय की गयी ।

5— राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में लम्बित विपत्रों के विरूद्ध भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से रू० 5,00,00,00,000/—(रूपये पाँच अरब) मात्र की अग्रिम की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक—29. 01.2026 के मद संख्या—19 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत है। मंत्रिपरिषद् द्वारा प्राप्त अग्रिम की स्वीकृति के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०—55(7A), दिनांक—30.01.2026 निर्गत की जा चुकी है।

6— इस राशि के व्यय का वहन बिहार आकस्मिकता निधि से शीर्ष खंड —II—बिहार आकस्मिकता निधि—8000—माँग संख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष— 110—अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष—0111—मेडिकल कॉलेज अस्पताल विपत्र कोड—8000—20—4210011100111 के अंतर्गत विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में प्राप्त अग्रिम राशि से किया जायेगा।

7— कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0—100(7), दिनांक—16.06.2023 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

8— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

10— बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

11— यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17.04.98, 2880/ वि0(2), दिनांक—06.05.06, 2938/वि0(2), एवं दिनांक—08.04.08 एवं 12888/वि०, दिनांक--03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12— प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—07/MCH-35-41/2023 के पृष्ठ—11/टि0 में प्राप्त है।

14— राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक—2779/वि0 दिनांक—19.03.2026 द्वारा निर्गत शिथिलीकरण आदेश के क्रम में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। साथ ही राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

20/3/26

(शंभु शरण)

**सरकार के अपर सचिव।**

ज्ञापांकः--07/MCH-35-41/2023 –131(7A) /स्वा0, पटना, दिनांक—20/03/2026

**प्रतिलिपि**— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचंद पटेल पथ, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**— प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/अधीक्षक एवं प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—1,2,3 एवं 17/ आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई—मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

20/3/26

**सरकार के अपर सचिव।**

| Sl. No. | विपत्र कोड | CFMS में कुल परिलक्षित राशि (BCF सहित) | योजना का नाम | Pending Bills up to January | Expected Bills up to 31.03.2026 | Total Bill up to 31.03.2026 | प्रस्तावित आवंटन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु 20–4210030500103 53–01 | 266 (BCF –175.00) | **Construction of Govt. Medical College & Hospital, Bhojpur (Ara)** | 7.62 | 35.00 | 42.62 | **7.00** |
| | | | **Construction of Govt. Medical College & Hospital,Mahua** | 87.65 | 30.00 | 117.65 | |
| 2 | | | **Construction of Govt. Medical College & Hospital, Supaul** | 16.87 | 45.00 | 61.87 | **25.00** |
| 3 | | | **Construction of Govt. Medical College & Hospital, Begusarai** | 13.10 | 40.00 | 53.10 | **30.00** |
| 4 | | | **Construction of Govt. Medical College & Hospital, Munger** | 42.06 | 40.00 | 82.06 | **35.00** |
| | **Total** | | | **167.30** | **190.00** | **357.30** | **97.00** |
| 9 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मेडिकल कॉलेज हेतु विपत्र कोड–20–4210037890101 53–01 | 470.75 (BCF-250.00) | **Construction of Govt. Medical College & Hospital, Jamui** | 3.14 | 10.00 | 13.14 | |
| | | | **Construction of Patna Medical College & Hospital** | 415.00 | 300.00 | 715.00 | **275.00** |
| | | | **Construction of Govt. Medical College & Hospital, Buxar** | 160.99 | 170.00 | 330.99 | **70.00** |
| | | | **Construction of Govt. Medical College & Hospital, Siwan** | 9.62 | 25.00 | 34.62 | **15.00** |
| | | | **Aiims Dharmshala, Patna** | | | 2.80 | **2.00** |
| | **Total** | | | **588.75** | **505.00** | **1096.55** | **362.00** |
| 14 | मेडिकल कॉलेज अस्पताल विपत्र कोड–20–4210011100111 53–01 | 176 (BCF- 75.00) | **Construction of Health and Science university, Bihar** | 6.90 | 50.00 | 56.90 | |
| | | | **Construction of Medical College & Hospital, Chhapra** | 4.16 | 15.00 | 19.16 | |
| | | | **DMCH, Redevelopment** | 165.78 | 32.00 | 197.78 | **71.00** |
| | **Total** | | | **176.84** | **97.00** | **273.84** | **71.00** |
| | **Grand Total** | | | | | | **530.00** |

120(7A)
19/03/2026

अवर सचिव

पत्र सं०-एम-4-10/2026..2779../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार,
विकास भवन, पटना ।

पटना-15, दिनांक.19-03-2

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि की निकासी हेतु बंधेज शिथिलीकरण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अंत विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के निर्माण के लिए कुल ₹1108.07 करोड़ निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।

समीक्षोपरान्त संदर्भित प्रस्ताव के आलोक में मात्र ₹530.00 करोड़ की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को शिथिल किया जाता

उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-20 के कोड-20-4210-03-050-0103, 20-4210-01-110-0111 एवं 20-4210-03-789-0101 के शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य मद में किये गये उपबंध से विकलनीय होगा ।

विश्वासभाजन

19/3/2026

(अजय कुमार ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त

**ज्ञापांकः-एम-4-10/2026 2779./वि०, पटना-15, दिनांक..19-03-26**

**प्रतिलिपिः**-सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (संचिका सं०-07/बजट-46-43/2025/25-26 में प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2026

संयुक्त आयुक्त